Re. Reported arrest of Shri Gautam Dhir, Chief Correspondent of Indian Express

श्री अजय मारूं (झारखंड): सभापति जी, धन्यवाद। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तम्भ कहा जाता है, लेकिन समय-समय पर उस पर हमले होते रहते हैं । महोदय, कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य सरकारें और उसके अधिकारी समाचार-पत्र-पत्र उद्योग पर लगाम लगाने के लिए, उनके खिलाफ छपे समाचारों के विरुद्ध समाचार-पत्रों पर दमनपूर्वक कार्यवाही करते हैं। इसके लिए कभी उन समाचार-पत्रों के संवाददाताओं को प्रताडित किया जाता है, कभी समाचार –पत्र उद्योगों की बिजली की लाइनें काट दी जाती हैं और कभी समाचार-पत्रों के सरकारी विज्ञापनों को बंद कर दिया जाता है।

सभापति जी,कल इंडियन एक्सप्रेस के चडीगढ एडीशन के मुख्य संवाददाता श्री गौतम धीर को रात 8.30 बजे उनके घर से पंजाब पुलिस के लोग पकड़कर ले गए। उनकी पत्नी एवं उनके पिता को भी उनकी गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया। रात डेढ़ बजे के करीब उन्हें थाने में हाजिर किया गया, लेकिन उस समय भी उनके परिवार वालों एवं उनके वकील को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इसका कारण यह पता चला कि पंजाब पुलिस के आईजीपी के खिलाफ उन्होंने कल कोई रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की थी और उसी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, उस आईजीपी ने उन्हें गिरफ्त्तर करवा दिया।

सभापति जी, यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। इस कारण से पंजाब के साथ पूरे देश के सभी पत्रकार आंदोलित हैं। मैं सरकार से इस विषय पर एक रिपोर्ट तुरन्त सदन में प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश): मैं स्वयं को इससे संबद्व करता हूं।

प्रो. रामवख्श सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश): मैं स्वयं को इससे संबद्व करता हूं।

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश): मैं स्वयं को इससे संबद्व करता हूं।

RE. OBJECTION TO ENGAGING SERVICES OF MRS. NALINI CHIDAMBARAM, SR. ADVOCATE BY INCOME-TAX DEPARTMENT

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu) : Mr. Chairman, Sir, I would like to raise an issue here. Sir, I have given a notice...

MR. CHAIRMAN: There is no notice. ...*(Interruptions)*... There is no notice with me.

SHRI N. JOTHI: Sir, I had given a notice during the debate, and, I have authenticated the document also.

MR. CHAIRMAN: You go through the rules, and tell me under which rule you have given a notice.

SHRI N. JOTHI: Sir, yesterday, I sent a fax message."Today also, I have given the notice. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: You go through the rules and tell me under which rule you have given the notice.

SHRI N. JOTHI: Sir, please give me a few minutes to raise this issue.

MR. CHAIRMAN: You have already raised this issue. *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: No, no; I had not explained it in full. *...(Interruptions)...* I had not said it in the depth. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: You first tell me under which rule you have moved the motion. Where is the motion? *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: I will tell you. *...(Interruptions)...* During the debate on that day in which I had also participated and raised the issue by saying that when the Government is trying to have minimum wages *...(Interruptions)...* A Cabinet Minister is giving riches to his own household. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: You have already spoken. *...(Interruptions)...* You have already spoken. *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: I have authenticated it. *...(Interruptions)...* It is abuse of power. *...(Interruptions)...* It is misuse of power. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: You have already spoken on that. *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: Yesterday also I have served a notice. *...(Interruptions)...* I have faxed it. *...(Interruptions)...* I have given it. *...(Interruptions)...* Let the Minister come here and explain here to the House... *(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: You first give me a notice. *...(Interruptions)...* I can assure that whatever decision can be taken on that Motion, I will certainly take. *...(Interruptions)...*

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तराचंल): सर, हमें आपका संरक्षण चाहिए। ....(**व्यवधान**).....

SHRi N. JOTHI: I have .already given a notice. *...(Interruptions)...* I have given it under Rule 24 (a). *...(Interruptions)...* Sir, it is a question of probity in public life. *...(Interruptions)...* It is a question of purity in public life. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: It may be. *...(Interruptions)...* I do not deny what you are saying. *...(Interruptions)...* But I am supposed to go by rules. *...(Interruptions)...* If there is any rule under which this motion can be moved, please tell me. *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: I have given it. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: It is not a notice. *...(Interruptions)...* You will agree with me that it is not a notice. *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: Let the office tell me how it is not within the rules. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: It is not Question Hour. *...(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Sir, I have a point of order. *...(Interruptions)...*

श्रीमती सुषमा स्वराजः सभापति जी, **....(व्यवधान).....**

MR. CHAIRMAN: आप बैठिए न, **....(व्यवधान).....**Mr. Jothi, you read Rule 223, please. *...(Interruptions)...* "Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary-General, and signed by the Member giving notice, and shall be left at the Council Notice Office which shall be open for this purpose between the hours to be notified in the Bulletin from time to time on very day except Saturday, Sunday or a public holiday." *...(Interruptions)...* Where is the notice? *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: That I have already done. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: This is not a notice.

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। **....(व्यवधान).....** एक मिनट **....(व्यवधान).....** सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। **....(व्यवधान).....** सर, मुझे प्वायंट ऑफ आर्डर के लिए तो बोलने दीजिए। **....(व्यवधान).....**It is an open and shut case. *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: Yesterday also I had done. *....(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: There is no harm if you give notice for motion. *...(Interruptions)...* You can take advantage of the rules.*...(Interruptions)...*

You can take advantage of the rules. *...(Interruptions)...* When there is a rule to move a motion, under that you can move it.

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, मेरा रूल 223 पर प्वायंट ऑफ आर्डर है। सर, आपने अभी रूल -223 पढकर बताया और यह कहा कि इस पर नोटिस चाहिए। सर, यह सब्सटेंटिव मोशन हो तो नोटिस की आवश्यकता होती है। यह इश्यू एक डिबेट के अंदर रेज किया गया था और जब उन्होंने इश्यू रेज किया तो आपने पीठ पर बैठकर यह आदेश दिया कि इसमें से कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा, चूंकि पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। तो आपने कहा कि क्या यह कागज आप मुझे देंगे? और सदस्य ने व ए कागज यहीं के यहीं आपको दे दिए और यह भी कहा कि मैं आथंटिकेट भी करने के लिए तैयार हूं और मेरे पास वह स्पीच है जहां उन्होंने कहा कि। I am ready to face the consequences. मैं कांसीक्वेंसीज भी फेस करने को तैयार हूं अगर मेरी यह बात गलत हो। सर, उसके बाद उन्होंने वे कागज आपको दे दिए और आपने भरे सदन में यह कहा कि Rest assured. I will do justice.....(Interruptions).... और उनको आपकी तरफ से यह आश्वासन आने के बाद कि आप उन्हें न्याय देंगे तो वे बैठ गए। उसके बावजूद उन्होंने आपको एक ई-मेल भी भेजी और एक फैक्स भी किया और टेबल पर भी वह चीज दी। सर, इसमें नोटिस की आवश्यकता नहीं है। एक इश्यू जो वह उठाना चाहते हैं वह इश्यू ओपन एंड शट केस है करप्शन का। वह भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का सीधा प्रमाण है। ....(**व्यवधान**).....

श्री सभापतिः उसके मैरिट पर नहीं जाइए, आप। ....(**व्यवधान**)..... Do not go into its merits. *...(Interruptions)...*

श्रीमती सुषमा स्वराज: उसके रिश्तेदारों को अगर लाभ दिया जाता है तो वह भाई भतीजावाद है। ....(**व्यवधान**)..... सर, इन्होंने पैट्रोल पम्प आंबटन में घोटाया कहा था। पैट्रोल पम्प आंबटन में घोटाला क्यों कहा था, क्योंकि इनका यह कहना था कि ये रिश्तेदारों को मिल गए। लेकिन यहां तो पत्नी उस डिपार्टमेंट की लॉयर बनकर अपीयर हुई जिस डिपार्टमेंट मुखिया उनके पति हैं। सर, इस केस में और भी बहुत से तथ्य सामने आए हैं। लेकिन मैं आपके सामने कहना चाहती हूं कि भाई भतीजावाद का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता । भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। सर, पति फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनके नीचे का डिपार्टमेंट उनकी पत्नी को लॉयर के तौर पर एंगेज कर रहा है। सर, बगांरू लक्ष्मण के मामले में भी एक लाख रुपये की बात हुई थी, आज तक केस भुगत रहे हैं। सर, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं ....(**व्यवधान**).... सर, यह मामला बहुत गम्भीर है। ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : गंभीर है तो ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सुषमा स्वराजः देश के वित मंत्री जी कटघरे में खड़े हैं। ....(**व्यवधान**)....

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, let the *...(Interruptions)...* Therefore... *(interruptions)...*

SHRI B. S. GNANADESI'KAN (Tamil Nadu) : Sir, this should not go on record. *...(Interruptions)...*

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण्र । ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सुषमा स्वराजः हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी इसके बारे में स्पष्टीकरण दे । ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : एक मिनट। एक मिनट। ....(**व्यवधान**).... एक मिनट बैठ जाएये। आप बैठ जाइये। ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सुषमा स्वराजः वित्त मंत्री जी को एक मिनट भी इस देश का वित्त मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं हैं। ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : आप बैठ जाइये। ....(**व्यवधान**).... माननीय सदस्यगण, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूगां कि मैं रूल्स के हिसाब से जो भी उचित है, उसको करने के लिए तैयार हूं। मुझे इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि रूल्स के अंतर्गत कोई नोटिस आये। ....(**व्यवधान**)....

श्री यशंवत सिन्हा (झारखंड)**:** सर, प्रिसीडेंट। ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : हां, ठीक है। ....(**व्यवधान**).... आप मुझे बोलने दीजिए । ....(**व्यवधान**)....

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I will give you a precedent of this House.

श्री सभापति : क्या? ....(**व्यवधान**)....

श्री यशंवत सिन्हाः सर, इसका प्रिसीडेंट है। सर, पूर्व का उदाहरण है। ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, इनको बोलने दीजिए। ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : किनको? ....(**व्यवधान**)....

श्री यशंवत सिन्हा : सर, मैं प्रिसीड़ेट आपको दे देता हूं। सर, मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दे दीजिए । ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : मैं एक बात कह देता हूं कि रूल्स के हिसाब से नोटिस आना चाहिए। रूल्स के हिसाब से नोटिस नहीं आया है। अगर आप किसी मेम्बर पर किसी तरह का एलिगेशन लगाते हैं, जब तक मेरे पास नोटिस नहीं आयेगा, तब तक मैं उस मेम्बर को उसकी कापी नहीं दे सकता । ....(**व्यवधान**).... अगर कापी नहीं दे सकता , आप किसी भी मेम्बर के विरूद आरोप लगा दें, तो वह जवाब नहीं दे सकेगा। आप कम सेकम इतना तो ध्यान में रखिये कि पार्लियामेंट में कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं में हम किसी मेम्बर पर आरोप लगाये और मेम्बर को डिफेंड करने का मौका भी न मिले, तो क्या आप किसी तरह से जस्टिस कर पायेंगे? ....(**व्यवधान**).... इसलिए मैं चाहूंगा....(**व्यवधान**).... एक मिनट, एक मिनट बैठ जाइये। ....(**व्यवधान**).... माननीय सदस्य ऐसा है, तो आप रूल्स के अंतर्गत मोशन दे दीजिए, I will think it over....(**व्यवधान**)....

श्री यशंवत सिन्हा : सर मुझे एक मिनट बोलने का समय दे दीजिए। ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : एक मिनट बैठ जाइये। ....(**व्यवधान**)....

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I had said, Sir, *...(Interruptions)...* Sir, if Mr. Narayanasamy taxes me, then, this House will get disrupted. Do you want it to happen on the last two days of this Session?

श्री सभापति : आप बोलिए। आप बोलिए। ....(**व्यवधान**)....

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I will give you a personal example and that will serve as a precedent in this particular case. Sir, I was the Finance Minister and an issue was raised in this House relating to me. It had nothing to do with my official capacity. It had to do with my election expenditure and an issue was raised by none other than the present Minister for HRD, hon. Shri Arjun Singhji. He raised it in this House and on the basis of that I was called to this House and I had to offer a personal explanation on that issue. Now, this issue was raised last week. I was not present in the House unfortunately, because I was not well. But I read it in the newspapers. Now, the hon. Finance Minister knows about it and I think it is his very bounden and pious duty to come to this House today and give a personal explanation on this issue. This is what we are demanding. He must give a personal explanation. Sir, how can this issue be swept aside? It is such a serious matter that his wife is *...(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, a notice...*(Interruptions)...*

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, no notice was given. In my case, no notice was given. I will ask the Secretariat to dig out that case. I am fortunately present in this House, therefore, I know this and all the Members who were present, at that time, in that year would know this case. I came here and offered a -personal explanation. All that we are demanding is, let the Finance Minister come and offer an explanation. It is a serious matter. He is the Minister for Finance and his wife is the lawyer. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Don't go on merit.

SHRI YASHWANT SINHA: She is appearing for cases of the OBDT. Can anything be more improper?...*(Interruptions)...*Can anything be more improper? *...(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: Let them give a prior notice, if they want to raise it under the rules. *...(Interruptions)...*

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, आप कह रहे हैं कि मंत्री को मौका मिलना चाहिए। अगर मंत्री को जानकारी नहीं है, तो सीबीडीटी एक्सप्लेनेशन कैसे दे रहा है? ....(**व्यवधान**).... हमें सीबीडीटी का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। सीबीटीईटी मंत्री को रिगरेट कर रहा है, हमें मंत्री का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मामला सदन में उठा है ....(**व्यवधान**).... मामला सदन में उठा है। ....(**व्यवधान**).... सर, सीबीडीटी क्यों एक्स्पलेनेशन दे रहा है? ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापतिः देखिए। ....(**व्यवधान**).... मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको रूल्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक मिनट सुनिए ....(**व्यवधान**).... आप बैठ तो जाइए। रूल्स में है- Procedure regarding allegations against members. It says, "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any other member or a member of the House unless the member making the allegation has given previous intimation to the Chairman and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of *reply."...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: Sir, a notice has already been given... *(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: There is no notice...*(Interruptions)...*

SHRI YASHWANT SINHA: There is no doubt that rule is there. But, at the same time, the hon. Member has given a notice and the letter that he has got..*(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: Sir, I have given a notice...*(Interruptions)...* Let me explain *Ms...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: I am sorry, Mr. Jothi. I don't treat this as a motion *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: I will explain *Ms...(Interruptions)...* I will explain *...(Interruptions)...* I will read the rule...*(Interruptions)...* I will explain it. Sir, it is under Rule 238...*(Interruptions)...* I will explain how I complied with the rules...*(Interruptions)...* I complied with the rules in letter and spirit. *...(Interruptions)...* I will explain it *now...(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: You have not given notice... *(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: I will explain it now. I don't want this shouting *...(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, you have given a ruling... *(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: I will explain...*(Interruptions)...* I. will explain *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: There is no harm. You can move the motion now *...(Interruptions)...-*

SHRI N. JOTHI: Sir, I have given a notice...*(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: You can move the motion now...*(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: No. I have given a notice...*(Interruptions)...*

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu) : Sir, it is a serious matter...*(Interruptions)...* Notice has already been *given...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: Sir, I will explain the whole thing...*(Interruptions)...* Sir, allow me to explain the whole issue...*(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: What are you going to explain?... *(Interruptions)...*

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu) : Please address the Chair... *(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: Ask him to address the Chair first .. *.(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: Yes. I am addressing the *Chan...(Interruptions)...* I will explain to you, *^...(Interruptions)...* Rule 238 says...*(Interruptions)...*

SHRI VAYAL^R RAVI (Kerala) : Sir, I am on a point of order. *..(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: There are so many points of order. Which point of order should I dispose of *first?...(Interruptions)...*

SHRI YASHWANT SINHA: There was a precedent in this House...*(Interruptions)...* In the precedent that I have quoted in this House, there was no prior notice and there was no permission. In this case, he has given a notice...*(Interruptions)...*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Mr. Jothi is saying that he has given a notice also...*(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, you have already given your ruling...*(Interruptions)...* Why is he raising this again?...*(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: Let me *explain..(Interruptions)...* I complied with every tenet of the rule...*(Interruptions)...* Let me explain now...*(Interruptions)...* I am reading Rule 238A, at page 80, of the Rules of Procedure...*(Interruptions)...* It says...*(Interruptions)...*

• SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu) : We do not want commentaries, Sir...*(Interruptions)... It* it is under the rule, let him explain the rule... *(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: The notice is according to the rule... *(Interruptions)...*

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, उन्हें बोलने तो दीजिए, उन्होंने नोटिस दिया है। ....(**व्यवधान**)....

SHRI N. JOTHI: Sir, they are shouting...*(Interruptions)...*

श्री सभापति : आप तो यह बता दीजिए कि आपने नोटिस दिया है। ....(**व्यवधान**)....

SHRI N. JOTHI: Sir, I am explaining the whole thing... *(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Is there any notice?...*(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: I am now explaining.

MR. CHAIRMAN: Is there any notice under the rule?

SHRI N. JOTHI: Yes. I will satisfy you, my Lord, to the fullest extent possible... *(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: My Lord!

SHRI N. JOTHI: Rule 238A says, "No allegation of a defamatory..." -- defamatory does not arise here -- "...or incriminatory nature shall be made by a member against any other member or a member of the House unless the member making the allegation has given previous intimation to the Chairman..." Let me stop now. And, on 28th August, 2005...

SHRI V. NARAYANASAMY: He has not read it fully. It further says, "...and also to the Minister concerned." Read it fully...*(Interruptions)...*

SHRI RAJU PARMAR (Gujarat): You read the rule fully... *(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: You read it fully...*(Interruptions)...* Please take your seat.. *(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: Rule 238A says that there is no need to give any notice, only intimation has to be given. What the word used here is this. Let me read it again. It says, "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any other member or a member of the House unless the member making the allegation has given previous intimation..." I had given a previous intimation. I had given a previous intimation, in writing, on 24lh August, 2005. This is number one... *(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: You first read 238.

SHRI N. JOTHI: Okay. Let me read Rule 238 also. I will read all. There is no problem...*(Interruptions)*....If you want me to read Rule 238, I will read. There is no problem. *...(Interruptions)...* This is my own field. I know how to deal with it. *...(Interruptions)...* Rule 238 talks about the rules to be observed while speaking. *...(Interruptions)...* My Lord, what you will see, so far what was said by them...*(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: I mean, address the Chair. *...(Interruptions)...*

-SHRI N. JOTHI: It's my habit, Sir. *...(Interruptions)...* Sir, so far, they have been relying on 238A; now, they want to shift and rely upon 238. Let me read that also. *...(Interruptions)...* All right. Full Rule Book goes together. (Interruptions) All right. Rule 238 reads, "A Member, while speaking, shall not: (i) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending;" This is not the case here. It further says, "Shall not make a personal charge against a Member". He is not a Member. It further goes on to say, "Shall not use offensive expressions about the conduct or proceedings of the Houses or any State Legislature." I have not done that. It further goes on to say, "Shall not reflect on any determination of the Council except on a motion for rescinding it." It is not the issue. Then, it says, "Shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms." *...(Interruptions)...*There was no motion. Rule 238 will not have application. What will apply here is Rule 238A. *...(Interruptions)...* My Lord, I have already given a notice. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Thank you for that. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: He has given a notice. *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: Sir, I had given intimation. *...(Interruptions)...* I had given intimation on 24.08.2005, and had also stated...*(Interruptions)...* I will authenticate. *...(Interruptions)...* If I am wrong, I am ready to face the consequences also. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: You have already said it. *...(Interruptions)...* You have already said it. *...(Interruptions)...*

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, I am on a point of order. The hon. Member has drawn the attention of the House to Rule 238A, including the proviso. But, Sir, these are 238 and 238A, read both together. These are very important. Let me explain my point. Under Rule 238A, during the course of a speech, even Mr. Sinha has shown, during an ordinary course of speech, some allegation may be made by an hon. Member. Then, they need a notice. But, then, while speaking, making allegations against any Member or a Minister, without a substantive motion, "Can be ruled out by the Chairman. It is all very clear in this book also. I can quote, if you want. There is a Speaker's ruling, which is very clear in this book by Kaul and Shakdher. I quote, "As already stated, unless an advance notice is given to the Speaker and the Minister concerned, a Member is not permitted to make allegations in the House. Where allegations are made without fulfilling this requirement, an objection to that effect can be taken by any Member in the House and the Chair in such a case may uphold the objection..." *...(Interruptions)...* Sir, this is a very clear ruling here. Rule 238 and 238A go together, as held by the hon. Chairman...*(Interruptions)...* ...Rule 238 and 238A, in the course of the speech, generally speaking, can go together. That's the point. *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: Hon. Chairman, Sir, I will go further. *...(Interruptions)...* I will go further. I will satisfy...*(Interruptions)...* .also says 'Rule 238A'. *...(Interruptions)...* It is in my favour. The proviso says, "The Chairman may, at any time, prohibit any Member from making any such allegation, if he is of the opinion that such an allegation is derogatory to the dignity of the Council or no public interest is served by making such an allegation." I have not made any derogatory allegations. *...(Interruptions)...* It is in public interest. *...(Interruptions)...* It is in public interest that I raise the issue. I had given a notice; five days are over. The CBDT has, now, responded to the issue. They have answered on his behalf. According to me, that's not the correct version. The whole world knows about him, but he is keeping quiet. *...(Interruptions)...* He has been keeping quiet for all these days. *...(Interruptions)...* In addition to that, yesterday, I had sent an

e-mail; and I have an 'okay report' of that. Prior notice had been given to both, the Chairman and the Secretary-General. I had given a fax message; I had given an e-mail. And, I am laying these on the Table. *...(Interruptions)...* I had given prior intimation. Under the circumstances, there should be orders from the hon. Chairman to this effect and let the Minister come over *here...(Interruptions)...Let* the Minister come over *here...(Interruptions)...*

श्री सभापतिः माननीय सदस्य ....(**व्यवधान**).... मैं आपकी बात समझ गया हूं । आप इंटिमेशन की बात कर रहे हैं, क्या आपने मुझे इंटिमेंशन दी है? ....(**व्यवधान**).... इनको बोलने दीजिए। आपने मुझे इंटिमेशन दी? ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सुषमा स्वराज : हां।

श्री सभापति : कब दी?

SHRI N. JOTHI : Yes, I have given. *...(Interruptions)...* I have given the intimation. *...(Interruptions)...*

श्री सभापतिः मैंने आपसे कागज मांगा। ....(**व्यवधान**)....

SHRI N. JOTHI: I gave the intimation on 24m. *...(Interruptions)...* On 24th I had given the intimation. *...(Interruptions)...*

श्री सभापतिः जब आप वह जजमेंट दिखा रहे थे ....(**व्यवधान**).... वह ठीक है ....(**व्यवधान**).... मुझे इंटिमेंशन नहीं है ....(**व्यवधान**)....No; there is no intimation. *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: I have given it. *...(Interruptions)...*

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर....(**व्यवधान**)....

SHRI N. JOTHI: I have given it. *...(Interruptions)...* I have given it. *...(Interruptions)...*

श्री सभापति : आप मेरी बात तो सुन लीजिए ....(**व्यवधान**).... आप जब बोल रहे थे और जजमेंट को रेफर कर रहे थे, मैंने आपसे कागज लिया ....(**व्यवधान**)....

SHRI N. JOTHI: No; no. I have given a letter also. *...(Interruptions)...* I have given a letter.

श्रीमती सुषमा स्वराजः वह तो आपने रिकॉर्ड से निकाल दिया ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापतिः यह रिकॉर्ड पर है ....(**व्यवधान**)....

SHRI N. JOTHI: That letter is very much here. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: The letter is attached with the copy of the judgement. *...(Interruptions)...* No separate intimation is there. *...(Interruptions)...* There is no intimation. *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: I have given the original letter. *...(Interruptions)...*

श्री सभापति : आपको इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आप रूल्स के हिसाब से नोटिस नहीं दे सकते ? ....(**व्यवधान**)....is there any problem? I do not treat it as a motion. *...(Interruptions)...* It is not a motion.

SHRI N. JOTHI: No; no. *...(Interruptions)...* Chairman Sir, on 24th I had given it and yesterday also I have given. *...(Interruptions)...*

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान)**:** सर, यह सबसे ज्यादा जरूरी है ....(**व्यवधान**)....

SHRI N. JOTHI: We have raised it. *...(Interruptions)...* Why are they screening their Minister? *...(Interruptions)...* Let them come out with the truth. *...(Interruptions)...*

श्री यशंवत सिन्हा : सर, यह एलीगेशन कहां बनता है ....(**व्यवधान**).... यह एलीगेशन कैसे बनता है ....(**व्यवधान**).... जब it is a question of fact कि वित्त मंत्री जी कि पत्नी सी.बी.डी.टी. के केस में ....(**व्यवधान**).... वहआं पर अपियर हुई ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : सिन्हा साहब, आप ज्यादा ज्ञानी हैं, आप बताइए कि किसी भी मिनिस्टर या मैम्बर के खिलाफ आरोप लगाया जाए तो उस मैम्बर को सूचना देनी जरूरी है कि नहीं ....(**व्यवधान**).... मैं आपसे पूछ रहा हूं....(**व्यवधान**)....

श्री यशंवत सिन्हा : मैंने आपसे कहा सर, मेरे खिलाफ इसी सदन में एलिगेशन लगाया गया ....(**व्यवधान**).... मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : आपको उसकी सूचना दी है न ....(**व्यवधान**)....

श्री यशंवत सिन्हाः सूचना नहीं थी ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापतिः सूचना नहीं दी? ....(**व्यवधान**)....

श्री यशंवत सिन्हा : आप रिकॉर्ड मंगाकर देखिए ....(**व्यवधान**).... कोई सूचना नहीं थी ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : सिन्हा साहब, कम से कम ऐसी हालत पैदा मत कीजिए ....(**व्यवधान**).... एक मिनट बैठिए....(**व्यवधान**)....

श्री यशंवत सिन्हाः मुझे कोई सूचना नहीं दी ....(**व्यवधान**).... कोई नोटिस नहीं दिया ....(**व्यवधान**).... मेरे पास उससे पहले एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं था ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापतिः मैम्बर, जिस समय चाहे किसी के ऊपर आरोप लगा दें ....(**व्यवधान**).... और जिस जिस पर आरोप लगाएं, उसको सूचना न मिले ....(**व्यवधान**).... इस तरह की व्यवस्था नहीं है ....(**व्यवधान**)....

श्री यशंवत सिन्हाः सर, सी.बी.डी.टी. ने एक्सप्लेन किया है ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सुषमा स्वराजः सभापति, एक सवाल उठाया....(**व्यवधान**).... मैं इस बात का जवाब देना चाहूंग़ी ....(**व्यवधान**).... आपने कहा कि आपने जब सवाल उठाया तब इंटिमेंशन नहीं ....(**व्यवधान**).... वन मिनट ....(**व्यवधान**).... आपने कहा, जब आप बोल रहे थे, आप इंटिमेंशन नही दी ....(**व्यवधान**).... आपने जजमेंट को रेफर किया ....(**व्यवधान**).... सर, आपने वह चीज प्रोसिडिंग़ से निकाल दी ....(**व्यवधान**).... जिस दिन इंटिमेंशन नहीं दी थी ....(**व्यवधान**).... उस दिन आपने निकाल दी....(**व्यवधान**).... जब इंटिमेंशन दे दी आपके सेक्रेरिएट को, मिनिस्टर को कहना चाहिए था....(**व्यवधान**).... सर, एक और इम्प्रोप्राइटी कमिट हुई है ....(**व्यवधान**).... मसला सदन में उठा ....(**व्यवधान**).... पर सी.बी.डी.टी ने जवाब बाहर दिया ....(**व्यवधान**).... सर, यह हमारा प्रिविलेज है ....(**व्यवधान**).... मामला सदन में उठा था ....(**व्यवधान**).... प्रधानमंत्री भी बाहर जवाब दे रहे हैं और सी.बी.डी.टी. भी बाहर जवाब दे रही है ....(**व्यवधान**).... सर, आप नोटिस नहीं ले रहे हैं ....(**व्यवधान**).... मामला सदन में उठा और सदन में जवाब नहीं आ रहा है ....(**व्यवधान**).... सी.बी.डी.टी बाहर जवाब दे रही है ....(**व्यवधान**).... प्रधानमंत्री सदन के बाहर बोल रहे हैं ....(**व्यवधान**).... सर, यह इस सदन की अवमानना हो रही है ....(**व्यवधान**).... हमें आपका संरक्षण चाहिए सर....(**व्यवधान**).... सभापति जी, हमें आपका संरक्षण हमें आपका संरक्षण चाहिए सर, ...(**व्यवधान**).... सभापति जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए ....(**व्यवधान**)....Sir, we need your protection *...(Interruptions)...* Sir, you are the Presiding Officer of this House. *...(Interruptions)...* मामला सदन में उठा ....(**व्यवधान**)....

श्री यशवंत सिन्हाः जब आपने नोटिस नहीं लिया तो सी.बी.डी.टी ने जवाब क्यों दिया ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सुषमा स्वराजः और प्रधानमंत्री ने क्यों दिया ....(**व्यवधान**)....

श्री यंशवत सिन्हाः सदन के बाहर जवाब दिया ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : यह मेरी रिस्पोंसिविलिटी नहीं है कि उन्होंने जवाब क्यों दिया....(**व्यवधान**)....

श्री यशंवत सिन्हाः सी.बी.डी. टी. एक संस्था है ....(**व्यवधान**).... सी.बी.डी.टी. फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक बोर्ड है, उसका अंग है ....(**व्यवधान**).... सी.बी.डी.टी. ऑफिशियली इसका एक्सप्लेनेशन ऑफर करता ....(**व्यवधान**).... हाउस में हम लोगों को नहीं मिलेगा ....(**व्यवधान**).... क्य हम लोग , सदन के मैम्बर, इतने गए गुजरे है, इतने निकम्मे हैं कि हमें इन्फोमेंशन नहीं मिलेगी और बाहर इन्फोमेंशन मिलेगी ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप जो बात कह रहे हैं कि सदन के माननीय सदस्य बोल नहीं सकते और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग बोल जाएं....(**व्यवधान**).... यही बात हैं न, मैं आपसे कहता हूं कि आप इसे इतना ईजी इतना ईजी मत लीजिए कि किसी मैम्बर के ऊपर एलीगेशन लगा

दे, बिना नोटिस के लगा दें, मैम्बर को सूचना नहीं हो ....(**व्यवधान**).... एक मिनट आप मुझे बोलने दीजिए....(**व्यवधान**).... आप बैठिए मैं बोल रहा हूं ....(**व्यवधान**).... इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ....(**व्यवधान**).... सवाल इतना सा है कि हम इसे रुल्स के अंतर्गत करें ....(**व्यवधान**).... मेरी बात सुनिए, आज आप यह कह रहे हैं कि रूल्स के अंतर्गत हुआ है, मैं नहीं समझता कि रूल्स के अंतर्गत हुआ है ....(**व्यवधान**).... मेरी बात सुन लीजिए ....(**व्यवधान**).... फिर भी मैं आपको कह सकता हूं कि आप किसी तरह का मोशन मुझे दे दीजिए, आज दे दीजिए ....(**व्यवधान**)....

श्री एस.एस. अहलुवालिया(झारखंड)**:** यह मोशन नहीं है सर ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापतिः आप लिखकर तो दीजिए ....(**व्यवधान**)....

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, Rule 238A has been complied with. *...(Interruptions)...* रूल्स की पालना हुई है, रूल 238A की पालना हुई है। intimation 24 को भी दी, intimation 28 को भी दी ....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : यह नहीं है, मैं तो एलाऊ नहीं करूंगा ....(**व्यवधान**)....

SHRI N. JOTHI: I have given it in writing. *...(Interruptions)...*

श्री सभापति : आप दे दीजिए writing में ....(**व्यवधान**)....

SHRI N. JOTHH:The word used is 'intimation'. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir.^ule 238A has been complied with. *...(Interruptions)...*

श्री यशंवत सिन्हाः सर, मैंने व्यक्तिगत तौर पर आपको सूचना दी कि इसी सदन में क्या हुआ था, जब मैं वित्त मंत्री था....(**व्यवधान**).... मैंने आपको बताया कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला था। इस सदन में मामला उठा, उसके बाद मैं स्वतः चलकर आया और मैंने यहां पर अपना personal explanation दिया ....(**व्यवधान**)....

SHRI N. JOTHI: I have also given a second notice. *...(Interruptions)...*

श्री यशंवत सिन्हाः वह मामला, मेरे सरकारी कामकाज से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, वह वित्त मंत्री के सरकारी कामकाज से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, बिल्कुल व्यक्तिगत मामला था और वह भी बिना नोटिस के यहां पर उठा। यहां पर आपको intimation दिया जा चुका है, यह गंभीर मामला है ....(**व्यवधान**).... हम लोग सिर्फ यह कह रहे हैं कि वित्त मंत्री यहां आएं और वे explanation दें। आज के दिन अगर वित्त मंत्री के अंदर जरा भी sense of propriety होती, तो , I would have expected him to be present in this house to offer his personal explanation…(Interrupations)…मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पचौरी जी है, यही पर हैं, इनसे पूछिए , ये ही उस दिन preside कर रहे थे, जिस दिन यहां आकर मैंने इस हाउस में

personal explanation दिया था। आप नियमों की बात कर रहे हैं, नियमों के साथ –साथ पूर्व उदाहरण भी चलता है ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सुषमा स्वराजः नियम की पालना हुई है,Rule has been complied with. *...(Interruptions)...* Rule 238A has been complied with. *...(Interruptions)...* Prior intimation has been given. *...(Irjerruptions)...*

श्री यशंवत सिन्हाः नियम और पूर्व उदाहरण ....(**व्यवधान**)....

श्री शरद यादवः इस सदन के पूरेव उदाहरण को देख लिया जाए।

श्री यशंवत सिन्हा : नियम और पूर्व उदाहरण, दोनों के अनुसार यह मामला बिल्कुल यहां उठेगा और उठना चाहिए ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सुषमा स्वराजः नियम की पालना हो रही है, Rule 238A has been complied with. *...(Interruptions)...*

श्री शरद यादव (बिहार) सर, आपकी चिंता ठीक नहीं है, आपकी चिंता से सदन का ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सुषमा स्वराजः सरे, दूसरी impropriety commit हुई है। जो मामला सदन में उठा, उसका जवाब CBDT बाहर दे रहा है और प्रधानमंत्री भी बाहर दे रहे हैं। CBDT का जवाब नहीं चाहिए, मिनिस्टर का explanation चाहिए ....(**व्यवधान**)..

SHRI N. JOTHI: I have complied with all the Rules. *...(Interruptions)...* I have complied with all the Rules, and I have also given intimation and notice. *...(Interruptions)...*

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने मुझे जो लैटर दिया है ....(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादवः सभापति जी, आपकी चिंता वाजिब नहीं है ....(**व्यवधान**)... intimation हुआ है ....(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः नियम की पालना हुई है, intimationa हुआ है ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : इंटिमेंशन क्या हुआ? लैटर में यह लिखा है कि –I am participating in the debate on the National Rural Employment Guarantee Bill, 2004. During the debate, I intend to authenticate the enclosed document which would indicate ... यही तो है न? डाक्यूमेंट को आप authenticate करने केलिए नोटिस दे रहे हैं ....(**व्यवधान**)...

SHRI N. JOTHI: I have signed it. *...(Interruptions)...*

श्री सभापति : आपने जो दिया you have signed it. *...(Interruptions)...* Then, it means, compliance of your letter has been done. You have authenticated a document. The matter is over. *...(Interruptions)...*

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, इसका जवाब मैं देती हूं। उनके इस intimation के बाद वे जो कुछ बोले, वह आपने पीठ पर बैठकर रिकॉर्ड से हटा दिया और यह कहा कि नहीं, पहले मैं उस डाक्यूमेंत को पढूंगा और तब इज़ाजत दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि with folded hands, मैं आपसे request कर रहा हूं कि मुझे जस्टिस दीजिए। फिर आपने कहा कि rest assured, I will do justice…(Interruptions).. इसका मतलब उस दिन उन्होंने जो intimation दी, वह आपने रिकॉर्ड से हटा दी। उसके बाद सदन आज मिल रहा है ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः मैंने यह भी कहा था कि रूल्स में दीजिए ....(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः उसके बाद सदन आज मिल रहा है, इसलिए आज उठाने की अनुमती आप देंगे। सरे, मैं आप ही की बात का जवाब दे रही हूं। इसलिए आज आप यह मामला उठाने की अनुमती देंगे, क्योंकि आपने उस दिन इसे रिकॉर्ड से हटा दिया ....(**व्यवधान**)...

SHRI V. NARAYANASAMY: The Chairman also observed *...(Interruptions)...* You read the Chairman's observations in full. *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: You said, 'You will get justice.' I want justice to be done. *...(Interruptions)...* You said that you will do justice in the matter. *...(Interruptions)...* It is a very serious matter pertaining to the nation. *...(Interruptions)...*

श्री शरद यादवः सभापतिजी, आपकी चिंता तो वांजिब है, लेकिन इस मामले में चिंता की बात इसलिए नही है क्योंकि intimate हो चुका है ....(**व्यवधान**)... यह पत्र है 28 तारीख का ....(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, आपने कहा था कि मिनिस्टर को सूचना देने के लिए नोटिस जरूरी है। 238-A इंटिमेशन कीजो बात करता है कल ई-मेल से श्री एन. जोती ने जो चिट्ठी भेजी है, आप उसे पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है*

श्री सभापति : आप यह मत पढ़िए। ....(**व्यवधान**)...This will not go on record. *...(interruption)..*

श्रीमती सुषमा स्वराज:*

श्री सभापति : वह मैंने पढ़ लिया है ....(**व्यवधान**)...

श्री यशंवत सिन्हाः सीबीडीटी का एक्सप्लेनेशन ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : वह एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है....(**व्यवधान**)...

* Not recorded.

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, मामला सदन में उठा । ....(**व्यवधान**)... सीबीडीटी बाहर बोला, नलिनी चिदम्बरम बाहर बोलीं। ....(**व्यवधान**)... हमारा अधिकार, हमारा प्रिविलेज है, वित्त मंत्री यहाँ आएँ और बोलें। ....(**व्यवधान**)... वित्त मंत्री को सदन में होना चाहिए ....(**व्यवधान**)...

SHRI N. JOTHI: Sir, we want justice in the matter...*(Interruptions).,.* we want justice in the matter....*(Interruptions)...*

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, we seek justice from you. *.(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: I have no objections to that..*(Interruptions)...*

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, इतना घोर भ्रष्टाचार का मामला है ....(**व्यवधान**)... एक मिनट वित्त मंत्री को ....(**व्यवधान**)...

SHRI N. JOTHI: Sir, let him come over *here...(Interruptions)...* let the hon. Minister come over *here....(Interruptions)...*

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, we want the Finance Minister to come to this House and *...(Interruptions)...* we want the Finance Minister to come to the House *...(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: You cannot give orders to the Chair... *(interruptions)...*

श्रीमती सुषमा स्वराज : सीबीडीटी बाहर जवाब देता है, नलिनी चिदम्बरम बाहर जवाब देती हैं ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : बैठिए। The Protection of Women from Domestic Violence Bill, 2005. Shrimati Kanti Singh to move the Bill...*(Interruptions)...*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्रीमती कांति सिंह**): सर, मैं प्रस्ताव करती हूँ ....(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, इस सदन को आपका प्रोटेक्शन चाहिए....(**व्यवधान**)... सदन को प्रोटेक्शन चाहिए....(**व्यवधान**)... सर, वित्त मंत्री को बुलाइए और जवाब दिलवाइए ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : सदन की कार्रवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at forty-three minutes past eleven of the clock. The House reassembled at forty three minutes past twelve of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Protection of Women *...(Interruptions)...*

श्री एस. एस. अहलुवालिया: उपसभापति जी, वित्त मंत्री जी कहां हैं? वित्त मंत्री को सदन में बुलाएं ....(**व्यवधान**)...

SHRI N. JOTHI: I have complied with all the rules. *...(Interruptions)...* I have complied with all the rules. *...(Interruptions)...*

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, सभापति जी ने एक घंटे के लिए हाउस अड्जॉर्न किया था क्योंकि हमारी तरफ से मांग उठी थी कि वित्त मंत्री आएं और आकर सदन को बताएं ....(**व्यवधान**)... सदन की अवमानना हुई है। जो इश्यू जोती जी ने उठाया था....(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : वह इश्यू कंसिडरेशन में है तब तक हाउस चलने दें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उस पर सी0बी0डी0टी0 ने बाहर जवाब दिया, प्रधान मंत्री जी ने बाहर जवाब दिया।

SHRI N. JOTHI: No rule has been left by me. I have complied with all the rules. *...(Interruptions)...* Let him come. *...(Interruptions)...* Let him come... *(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me hear. *...(Interruptions)...*

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, जब हाउस एक घंटे के लिए अडजॉर्न हुआ था, तब हमारी ओर से मांग उठी थी कि इस सदन की वित्त मंत्री ने अवमानना की है क्योंकि सी0बी0डी0टी0 की तरफ से बाहर जवाब आया, प्रधान मंत्री की तरफ से बाहर आया, लेकिन वित्त मंत्री यहां नहीं आए। इसलिए हमें यह उम्मीद थी कि ....(**व्यवधान**)... जब हाउस दोबारा मिलेगा तो वित्त मंत्री यहां आकर बैठेंगे। हम पूछना चाह रहे थे कि वित्त मंत्री कहां हैं? ....(**व्यवधान**)... एक घंटे के लिए जब हाउस अडजॉर्न हुआ था। ....(**व्यवधान**)...

SHRI V. NARAYANASAMY: I have a point of order. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no point of order. *...(Interruptions)...*

श्रीमती सुषमा स्वराज: एक घंटे के लिए अडजॉर्न हुआ था तो हमें उम्मीद थी कि एक घंटे के बाद हाउस जब दोबारा मिलेगा तब वित्त मंत्री यहां अपनी बात कहने के लिए आएंगे । वित्त मंत्री कहां हैं, हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री यहां न आकर सदन की अवमानना कर रहे हैं।

SHRI V. NARAYANASAMY: I am raising a point of order... *...(Interruptions)...*

SHRI N. JOTHI: Sir, this is disorder.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2 o'clock.

The House then adjourned at forty-five minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at two of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

PERSONAL EXPLANATION BY SHRI P. CHIDAMBARAM, MINISTER OF FINANCE

श्रीमती सुषमा स्वराजः सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी हाऊस में आ गए हैं, जिस कारण से हाउस स्थगित हुआ था।

श्री सभापति : जिस कारण से हाऊस स्थगित हुआ था। उस संबंध में मैंने माननीय मंत्री महोदय से इच्छा प्रकट की थी कि इस पर आज ही स्पष्टीकरण हो जाए। माननीय मंत्री जी आ गए हैं। अब वे अपना स्पष्टीकरण देंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, बहुत बहुत धन्यवाद।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, Sir, a short while ago, I received a letter from the Rajya Sabha Secretariat enclosing a letter dated 24lh August, 2005 submitted by Shri N. Jothi, hon. Member addressed to the hon. Chairman. The letter, in turn, encloses the judgement of the Madras High Court reported in 275 ITR 403 in Commissioner of Income Tax *vs.* Janakiram Mills Limited.

I wish to offer an explanation under Rule 241 of the Rules of Procedure and Conduct of Business. When reports appeared in the media on the same matter, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) issued a statement dated 26lh August, 2005 on the circumstances under which Smt. Pushya Sitaraman, Senior Standing Counsel of the IT Department, Chennai had engaged Smt. Nalini Chidambaram, a Special Counsel in the matter with the approval of the Board. The CBDT stated that the proposals for engagement of counsels are not submitted to the Finance Minister, and, in this case also, the file was not put to the Finance Minister. The CBDT admitted that it was a lapse on their part not to have informed the Finance Minister of the proposed engagement before they granted approval for the same. The Board also expressed regret.

Smt. Nalini Chidambaram also issued a •statement dated 261" August, 2005 narrating the circumstances under which Smt. Pushya